



प्रेस नोट दिनांक-18.12.2025

जनपद चन्दौली

जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 02 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधी के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।

 जनपदीय पुलिस द्वारा वर्ष 2024 व वर्ष 2025 का मिलाकर भिन्न-भिन्न अपराधों में संलिप्त कुल 554 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

 माह दिसम्बर 2025 में कुल 05 प्रकार के अपराध से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु भेजी गयी रिपोर्ट।

चन्दौली:- जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 02 आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी हैं तथा इस अपराधी को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया हैं। अगर इसके बाद भी कोई जनपद चंदौली की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन पुलिस द्वारा किया जायेगा। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

थाना बलुआ-

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता- हर्ष सिंह उर्फ गोलू पुत्र भोला सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मणगढ़ थाना बलुआ जनपद चन्दौली

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1 मु0अ0सं0-234/24 धारा 326 एफ, 352, 351(3) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
- 2 मु0अ0सं- 239/24 धारा 326ए, 352, 351 (3) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
- 3.मु0अ0सं- 252/24 धारा 115(2). 352, 351(3) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
- 4.बीट सूचना रपट नं0 90 दिनांक 12.05.2025 थाना बलुआ जनपद चन्दौली ।
- 5.जांच बीट सूचना रपट नं0 03 दिनांक 13.05.2025 थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

थाना सकलडीहा-

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता- छोटू उर्फ लवकुश सेठ पुत्र रामू सेठ उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम टिमिलपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।

जिला बदर अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 147/19 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।
2. मु०अ०सं०- 307/16 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।
3. मु०अ०सं०- 18/2020 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।
4. मु०अ०सं०-02/2022 धारा 4/25 आयुष अधिनियम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।
5. बीट सूचना रपट नं० 47 दिनांक 16.01.2022।

जनपदीय पुलिस द्वारा जनवरी 2025 से अब तक जनपदीय पुलिस द्वारा भिन्न-02 अपराधों में संलिप्त कुल 291 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई व माह दिसम्बर 2025 में कुल 05 प्रकार के अपराध से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भेजी गयी है।

जनपदीय पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट में 291 अभियुक्तों का अपराधवार विवरण-

1. हत्या / बलवा- 19
2. लूट / डकैती-22
3. गोवंश तस्करी-17
4. शराब तस्करी-15
5. गांजा तस्करी-17
6. छेड़छाड़ /शीलभंग पाक्सो सहित- 77
7. बलात्कार पाक्सो सहित-42
8. अपहरण-6
9. चोरी/वाहन चोरी/नकबजनी-10
10. मारपीट/रंगदारी- 42
11. 109 बीएनएस-06
12. वन अधि०-10
13. अन्य-8

माह दिसम्बर 2025 में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 प्रकार के अपराध से सम्बन्धित कुल 07 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु भेजी गयी रिपोर्ट-

1. लूट-02
2. धोखाधड़ी/मारपीट-02
3. गोवंश तस्करी-01
4. अपहरण-01

5.छेड़खानी-01

वर्ष 2024 के दौरान जनपदीय पुलिस द्वारा भिन्न-02 अपराधों में संलिप्त कुल 263 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई।

जनपदीय पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट में 263 अभियुक्तों का अपराधवार विवरण-

- 1.हत्या / बलवा- 8
- 2.लूट / डकैती-25
- 3.गोवंश तस्करी-19
- 4.शराब तस्करी-8
- 5.गांजा तस्करी-2
- 6.छेड़छाड़/शीलभंग पाक्सो सहित- 39
- 7.बलात्कार पाक्सो सहित-40
- 8.अपहरण-3
- 9.चोरी/वाहन चोरी/नकबजनी-32
- 10.मारपीट/रंगदारी-7
- 11.307 भादवि-9
- 12.अन्य-71